# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी —श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन— 305/2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

| प्रार्थीगण | विप्रार्थीगण |
|---|---|
| 1. हरू पुत्र माला<br>2. केसाराम पुत्र नथा<br>3. गोरधन पुत्र नथा<br>4. जोगा पुत्र चुतरा<br>5. निम्बाराम पुत्र नथा जाति मेघवाल, निवासी बांधनिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। | 1. कमला पुत्री मंगु<br>2. कान्ता पुत्री मंगु<br>3. टीलाराम पुत्र मंगु<br>4. डुंगराराम पुत्र मंगु<br>5. सहुराम पुत्र मंगु<br>6. कालीबाई पुत्री अचलाराम<br>7. जेतुबाई पुत्री अचलाराम<br>8. जवारा पुत्र डाया<br>9. तारा पुत्र डाया<br>10. मानीदेवी पत्नी अचलाराम<br>11. लक्ष्मीबाई पुत्री अचलाराम<br>12. सभाई पत्नी मंगु फौत के कायम मु. प्रतिवादी सं. 01 से 05 व 13<br>13. सिदाराम पुत्र मंगु लाऔलाद फौत जाति भील निवासी बांधनिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।<br>14. शाखा प्रबन्धक दी सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा सेड़वा<br>15. शाखा प्रबन्धक दी सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा धोरीमन्ना<br>16. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा। |

वकील प्रार्थीगण :— श्री मांगीलाल जयपाल

## निर्णय

दिनांकः—29.10.2025

प्रार्थीगण हरू पुत्र माला जाति मेघवाल निवासी बांधनिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की जोत में जाने हेतु अन्य खातेदार विप्रार्थीगण संख्या 01 से 13 की काश्त की जोत में से होकर मार्ग खुलवाने की स्वीकृति चाहते है। इस नवीन मार्ग के अलावा हमारी जोत पर पहुंचने के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है तथा शुरू से ही प्रस्तावित मार्ग से आते जाते रहे हैं, यह रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता घोषित करवाने हेतु अधीन धारा 251 क उपधारा (1) राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...अधिनियम, 1955 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। हम प्रार्थीगण कीह खातेदारी एवं कब्जा ...की भूमि खसरा नंबर 489 के लिए प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। उक्त मार्ग मौके ...र पारस्परिक रूप से कदीमी चल रहा है जिस जगह मौके पर रास्ता चल रहा है एवं प्रार्थीगण के रास्ते के रूप में काम आ रहा है। जिसको अभी विप्रार्थीगण संख्या 01 से 13 ने खसरा संख्या 486 में खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग उपभोग में दखल पैदा करने लग गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है–

| क्र. सं. | प्रार्थीगण | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा हैक्टेयर में | रास्ते की चौड़ाई | मौजा | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | हरू पुत्र माला वगैरा | कमला पुत्री मंगु वगैरा | 486 | 4–9210 | 20 फीट | बांधनिया | बारानी अव्वल |

हमारे खेत खसरा नम्बर 489 के लिए आगे कटाणी मार्ग तक उक्त रास्ता ही निकटतम पड़ता है तथा इस मार्ग के अलावा अन्य कोई आम रास्ता, कटाणी मार्ग एवं सड़क नजदीक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच प्रार्थीगण को वर्णित अपनी कृषि भूमि के लिए संलग्न नक्शे में पीला लाईन से दर्शाये 20 फीट चौड़ाई मार्ग को दिलाये जाने की कृपा करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2025/1319 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ. /2025/1122 दिनांक 28.10.2025 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 13 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन उनके कार्यालय पत्रांक भू.अ./2025/1122 के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...005/2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ... पि. डाया 1/2 हि. जेतुबाई, कालीबाई, गोमीबाई लक्ष्मी बाई पुत्रीयां अचलाराम, मानीदेवी पत्नी अचलाराम 1/4 हि. डुंगराराम, टीलाराम, सिदाराम, साहुराम पि. मंगु कमला, कान्ता पुत्रियां मंगु सभाई पत्नी मंगु 1/4 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार, रहन कालीबाई, गोमीबाई, जेतुबाई, लक्ष्मीबाई, मानीदेवी का हि. सेन्ट्रल कॉपरिटिव बैक शाखा धोरीमन्ना, जवारा का हिस्सा, दी सेन्ट्रल कॉपरिटिव बैक शाखा धोरीमन्ना व टीलाराम का हिस्सा दी सेन्ट्रल कॉपरिटिव बैक शाखा सेड़वा | | | ... चौड़ाई | ... रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा | मौजा | भूमि की किस्म |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| | | 486 | 4–9210 | 20 फीट | 0–1080 हैक्टेयर | बांधनिया | बारानी अव्वल |

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग लाल दर्शाया गया है। रास्ते में किसी प्रकार का कीमती पेड़ नहीं है भूमि मौके पर खाली है प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर नोटिस तामिल बाद सीमेंट ईंटों से कमरा रूपी ढांचे का निर्माण कर रहा था जिसे मौके पर रूकवाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। इसके अलावा कोई कीमती पेड़ नहीं है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, विवरण निम्नानुसार है–

| क्र. सं. | खातेदारों का नाम | खसरा संख्या | रकबा हैक्ट. में | रास्ते की चौड़ाई | प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा | मौजा | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | जवारा, तारा पि. डाया 1/2 हि. जेतुबाई, कालीबाई, गोमीबाई लक्ष्मी बाई पुत्रीयां अचलाराम, मानीदेवी पत्नी अचलाराम 1/4 हि. डुंगराराम, टीलाराम, सिदाराम, साहुराम पि. मंगु कमला, कान्ता पुत्रियां मंगु सभाई पत्नी मंगु 1/4 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार, रहन कालीबाई, गोमीबाई, जेतुबाई, लक्ष्मीबाई, मानीदेवी का हि. सेन्ट्रल कॉपरिटिव बैक शाखा धोरीमन्ना, जवारा का हिस्सा, दी सेन्ट्रल कॉपरिटिव बैक शाखा धोरीमन्ना व टीलाराम का हिस्सा दी सेन्ट्रल कॉपरिटिव बैक शाखा सेड़वा | 486 | 4–9210 | 20 फीट | 0–1080 हैक्टेयर | बांधनिया | बारानी अव्वल |

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के मद्देनजर उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

के पत्रांकः भू.अ./2025/1122 दिनांक 28.10.2025 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 16. 25 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता ार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16. 10.2025 मय फर्द दिनांक 16.10.2025 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :—

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

**उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 29.10.2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।**

**पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।**

29.10.2025

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

# कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1122 दिनांकः—28.10.2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः— राजस्व आवेदन सं 305 / 2025 अनवान हरू वगैरह बनाम कमला वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बावत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 305 / 2025 अनवांन हरू वगैरह बनाम कमला वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम बाधनिया के खसरा 489 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 486 में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक फागलिया द्वारा दिनांक 16.10.2025 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन क्र. 205/2025 [illegible] हरक वगैरह बनाम [illegible]
वगैरह में

[illegible] ✓

# मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

मैं ....जसाराम.... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त....फागलिया.... कार्यालय, तहसीलदार ....सेड़वा.... के आदेश क्रमांक ....1623.... दिनांक 14/10/25 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 16/10/25 समय ...4....बजे आराजी खसरा नम्बर—...486... वाके ग्राम बांड़ासनिया पटवार मंडल ....[illegible].... पर श्री ....[illegible].... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

निरीक्षक (भू.अ.)

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ............... दिनांक .................... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | प्रार्थी/अप्रार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाराराम पुत्र | डायाराम | | भील | अप्रार्थी |
| 2 | ताराराम पुत्र | डायाराम | | भील | अप्रार्थी |
| 3 | नगाराम पुत्र | हरीराम | | मेघवाल | प्रार्थी पुत्र |
| 4 | जोगाराम पुत्र | पुनराराम | | मेघवाल | प्रार्थी |
| 5 | हरकराम s/o | मालाराम | | मेघवाल | प्रार्थी |

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

| क्र.सं. | खातेदार नाम | ग्राम | खसरा | रकबा | रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जवारा तारा पि० डाया 1/2 हि० जेतुबाई कालीबाई गोमीबाई लक्ष्मीबाई ~~पि०~~ पुत्रीयां अचलाराम मानीदेवी पत्नी अचलाराम 1/4 हि० डुंगाराराम टीलाराम सिदाराम साहुराम पि० मंगु कमला कान्ता पुत्रियां मंगु समाई पत्नी मंगु 1/4 हि० कौम भील सा० देह खातेदार- रहन ~~[illegible]~~ कालीबाई गोमीबाई जेतुबाई लक्ष्मीबाई मानीदेवी का हि० [illegible] बैंक शाखा धोरीमन्ना, जवारा [illegible] बैंक धोरीमना व टीलाराम का हि० [illegible] शाखा | बांड़ासनिया | 486 | 4.9210 हैक्टर | 0.1080 हैक्टर | का[illegible] अव[illegible] |
| | | | 1 | 4.9210 | | |

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को [illegible] लाल दर्शाया गया है उक्त [illegible] किसी प्रकार का कीमती पेड़ नहीं है भूमि मौके पर खाली है प्रस्तावित रास्ते की [illegible] पर नोटिस तामिल बाद सीमेंट ईंटों से ~~[illegible]~~ कमरा रूपी ढांचे का निर्माण कर रह[illegible] जिसे मौके पर रुकवाया गया। उक्त रास्ते के अलावा निकटतम व वैकल्पिक र[illegible] अभाव है।

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

[signature] फागलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रश्नगत कोर्ट

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :–

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | जाति | हस्ताक्षर | प्रार्थी/अप्रार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नगाराम s/o | हरीराम | मेघवाल | नगाराम | प्रार्थी |
| 2. | जोगाराम s/o | पुनराराम | मेघवाल | जोगाराम | प्रार्थी |
| 3 | हरीराम s/o | मालाराम | मेघवाल | | प्रार्थी |

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :–

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | प्रार्थी/अप्रार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाराराम पुत्र | डायाराम | | भील | अप्रार्थी |
| 2 | ताराराम पुत्र | डायाराम | | भील | अप्रार्थी |

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :–

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | पता/ मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लोमुराम s/o | कानाराम | | बिश्नोई | ग्रा॰ बांधानिया |
| 2 | तिलोकाराम s/o | खेराजराम | | मेघवाल | ग्रा॰ बांधानिया |
| 3. | त्रिभुराम s/o | नथाराम | | मेघवाल | ग्रा॰ बांधानिया |
| 4 | केसाराम s/o | नथाराम | | मेघवाल | ग्रा॰ बांधानिया |

तिलोकाराम

इस प्रकार आज दिनांक 16/10/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:26 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर 16/10/25
भू. अभिलेख निरीक्षक
वृत बांधानिया

C.S.

तहसीलदार (भु.अ.) सेड़वा

लोमुराम

त्रिभुराम

केसाराम

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

...ड़मेर

...: गंगासरा

तहसील : सेड़वा

दिनांक : 16/10/2025 03:40:37 PM

ग्राम : बांधनिया

भू. अ. नि. क्षेत्र : फागलिया

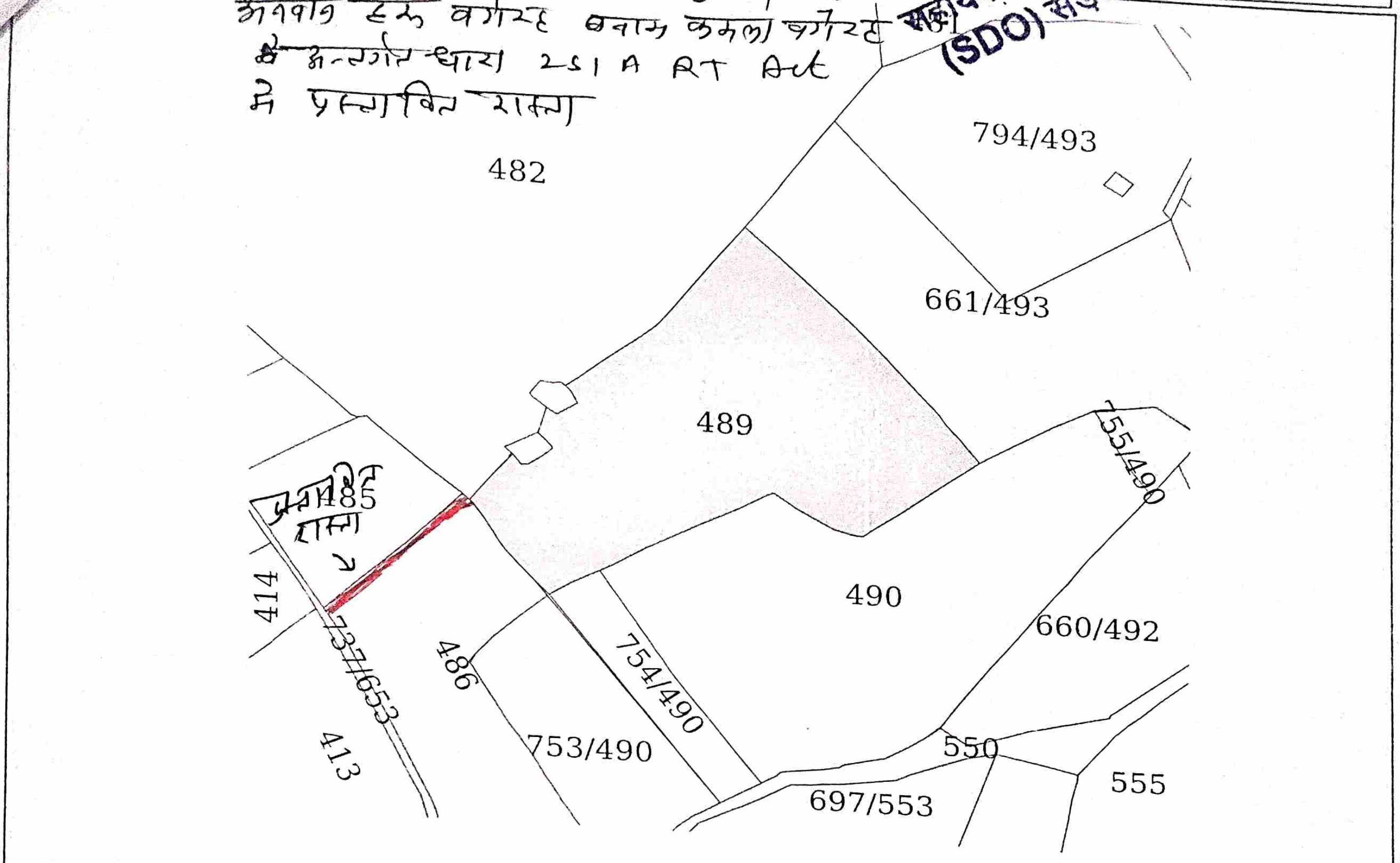


Scale 1:1000

खसरा संख्या :489 क्षेत्रफल : 7.8590 Hectare खाता संख्या : 34पुराना खाता संख्या :63

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान ]: बा.सोयम [ 7.8590, 1.49 ]

1.) केसाराम पुत्र नथा हिस्सा- 1/12 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
2.) खेमाराम पुत्र नथा हिस्सा- 1/12 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
3.) गोरधन पुत्र नथा हिस्सा- 1/12 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
4.) जोगा पुत्र चूतरा हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा धोरीमन्ना
5.) निम्बाराम पुत्र नथा हिस्सा- 1/12 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
6.) हरु पुत्र माला हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित तहसील कार्यालय से संपर्क करें।

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

तहसीलदार (भु.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:41:26 IST
Reason: SelfAttested

भू.अभि.न. :- फागलिया
तहसील :- सेड़वा
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

राजस्थान सरकार

# कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1142 दिनांकः—04.11.2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला— बाड़मेर)

विषयः— राज आ.स 305 / 2025 उनवान हरू वगैरह बनाम कमला वगैरह में अंतर्गत धारा 251 ए में निर्णय दिनांक 29.10.2025 में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति राशि की स्वीकृति बाबत।

प्रसंगः— श्रीमान जी आपके राज आ.स 305 / 2025 निर्णय दिनांक 29.10.2025 के संदर्भ में

07/11/2025

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सलंग्न मा. न्यायालय के राज आ.सं स 305 / 2025 उनवान हरू वगैरह बनाम कमला वगैरह अंतर्गत धारा 251 ए रा.का.अधि. में निर्णय दिनांक 29.10.2025 की पालना हेतु निरीक्षक (भू.अ.) फागलिया को निर्देशित किये जाने पर निरीक्षक (भू.अ.) फागलिया द्वारा निर्वापित अभिघृति ग्राम बाधनिया के ख.न. 486 में से रकबा 0.1080 हैक्टयर ग्राम बाधनिया की निर्धारित डीएलसी दर का दो गुणा से तथा अन्य सरंचना के वास्तविक मूल्य से गणना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को पक्षकारों में विभाजन की गणना सहित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में निरीक्षक (भू.अ.) फागलिया से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि की गणना रिपोर्ट बाद जांच व प्रति हस्ताक्षर के स्वीकृति व अग्रीम आदेशार्थ श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है।

सलंग्नः— उपरोक्तानुसार। सादर।

भवदीय

(जोताराम मीणा)
तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:26 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान तहसीलदार महोदय
सेड़वा

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 305/2025 अनवान हक वगैरा ग्राम कमला वगैरा अन्तर्गत धारा 251 A RT Act में निर्णय दिनांक 29.10.25 की पालना में क्षतिपूर्ति राशी की गणना बाबत ।

प्रसंग :- आपका आदेश क्रमांक/ भू अ/ 2025/1140 दि० 03/11/2025

महोदयजी

'उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 305/2025 अनवान हक वगैरह ग्राम कमला वगैरह मे निर्णय दिनांक 29.10.25 के अनुसार निर्मित रास्ते में समाविष्ट रकबा 0.1080 हेक्टर की क्षतिपूर्ति राशी (DLC दर की दुगुनी) कुल 60320/- रुपये व अन्य संरचना (दो सीमेंट ईंटो से निर्मित कमरे छत सीमेंट चद्दर) की अनुमानित राशी 35,000/- रुपये कुल क्षतिपूर्ति राशी 95320/- रुपये प्रभावित पक्षकारो को देय होगी जिनका पक्षकारों को हिस्सानुसार निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है -

| क्र.सं. | ग्राम | खसरा | निर्मित रास्ते के खातेदार जिनको क्षतिपूर्ति राशी का भुगतान किया जाना है | पक्षकार को देय क्षतिपूर्ति राशी (रु. मे) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कांधनिया | 486 | 1. जवारा पुत्र डाया 1/4 हि० | 23830/- रु |
| | | | 2. तारा पुत्र डाया 1/4 हि. | 23830/- |
| | | | 3. जेतु बाई पुत्री अचलाराम 1/20 हि० | 4766/- |
| | | | 4. काली बाई पुत्री अचलाराम 1/20 हि. | 4766/- |
| | | | 5. गोमी बाई पुत्री अचलाराम 1/20 हि | 4766/- |
| | | | 6. लक्ष्मीबाई पुत्री अचलाराम 1/20 हि | 4766/- |
| | | | 7. मानीदेवी पत्नी अचलाराम 1/20 हि० | 4766/- |
| | सिदाराम पुत्र मंगु व समाई पत्नी मंगु पूर्व मे फौत हो चुके है | | 8. डुंगाराम पुत्र मंगु 1/20 हि. | 4766/- |
| | | | 9. टीलाराम पुत्र मंगु 1/20 हि. | 4766/- |
| | | | 10 सादुराम पुत्र मंगु 1/20 हि. | 4766/- |
| | | | 11 कमला पुत्री मंगु 1/20 हि. | 4766/- |
| | | | 12. कान्ता पुत्री मंगु 1/20 हि. | 4766/- |
| | | | जातियान भील ना० देह खातेदार | 4766/- |
| | | | योग | 95320/- रु. |

ग्राम कांधनिया के ख.न. 486 की [illegible] अक्षरे [illegible] व हजार तीन सो बीस रुपये मात्र व अन्य संरचना की अनुमानित राशी 35 [illegible] कुल क्षतिपूर्ति राशी 60320/- [illegible] /- रु. कुल राशी 95320/- रुपये प्रभावित पक्षकारो को देय होगी अग्रीम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट श्रीमानजी को सादर पेश है।

भवदीय
04/11/25
ILR कांधनिया

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:26 IST
Reason: SelfAttested